कार्यालय अग्निशमन अधिकारी मुजफ्फरनगर।

पत्रांकः– 02 / एफएसओ / अ0सु0(प्रशि0) / 2016 दिनाँकः04.03.2016

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य
आर0जी0पब्लिक स्कूल
बेहडा शादात जनपद मुजफ्फरनगर।

विषयः– स्कूलो / कॉलेजो में अग्निशमन उपकरणो की व्यवस्था तथा अग्निशमन प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपके पत्रांक निल दिनांक 03.03.2016 के अनुपालन में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत मेरे द्वारा उपरोक्त स्कूल का निरीक्षण किया गया तो अग्निसुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 की टेबिल 23 भाग 4 में उल्लेखित शैक्षिक भवनो के प्राविधानो के अनुरुप पाई गयी। विद्यालय में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में संतोषजनक पाये गये। जिनका रिफलिंग व टैस्टिंग शुल्क राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है। विद्यालय के स्टाफ/विद्यार्थियों को अग्निशमन उपकरणो को चलाने की जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना नितान्त आवश्यक होगा तथा अग्निशमन उपकरणों की टैस्टिंग/रिफलिंग कराकर उनका निर्धारित शुल्क भी राजकीय कोष में चालान के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा करायेंगे तथा चालान की रिकार्ड हेतु जमा कराकर प्रत्येक वर्ष फायर उपकरणों की क्रियाशीलता का पत्र अग्निशमन विभाग से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।एक प्रति इस कार्यालय में तभी स्कूल/ परिसर को सुरक्षित माना जायेगा।

निरीक्षण आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

अग्निशमन अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

अग्निशमन अधिकारी
मुजफ्फरनगर

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : श–5/सीएफओ/एनओसी/मु0नगर/2014 दिनांक 19-2-2014

सेवा में,

प्रबन्धक
राधा गोविन्द एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी
गली नं0 17, सुभाष नगर गांधी कालोनी
मुजफ्फरनगर।

विषय :– **प्लाट/खसरा सं0 699 स्थित बेहड़ा सादात जानसठ से मोरना रोड तहसील जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर में प्रबन्धक राधा गोविन्द एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी गली नं0 17, सुभाष नगर, गांधी कालोनी मुजफ्फरनगर द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक भवन निर्माण के लिये अस्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **आवेदक के पत्र सं0 निल 28–01–2014 के क्रम में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके पत्र दिनांक 10–02–2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित संलग्न मानचित्र के अनुसार अग्निशमन अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त शैक्षिक भवन स्थल का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक 11–02–2014 का परीशीलन किया गया तो उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं का परीक्षण सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है —

<u>भवन की संरचना</u>

1–	कुल भूखण्ड एरिया	3918.31 वर्ग मीटर
2–	कवर्ड एरिया ग्राउण्ड फ्लोर	1268.91 वर्ग मीटर
3–	ओपन एरिया ग्राउण्ड फ्लोर	2649.40 वर्ग मीटर
4–	कवर्ड एरिया फर्स्ट फ्लोर	1268.91 वर्ग मीटर
5–	कवर्ड एरिया सैकिण्ड फ्लोर	1268.91 वर्ग मीटर
6–	आल ममटी कवर्ड एरिया	0078.56 वर्ग मीटर
7–	कुल कवर्ड एरिया	3885.29 वर्ग मीटर

भवन की ऊँचाई – 11.66 मीटर

<u>भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी</u>

प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 की "बी" श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

1– पहुँच मार्ग — प्रश्नगत भवन जानसठ से मोरना रोड पर ग्राम बेहड़ा सादात में स्थित है। प्रस्तावित शैक्षिक भवन के सामने मानचित्र में 31.70 मी0 रोड की चौडाई है। अग्निशमन के वाहन आसानी से आ–जा सकते है।

2– प्रवेश द्वार की चौडाई — प्रश्नगत भवन के मानचित्र में 2 प्रवेश द्वार प्रस्तावित है जिनकी चौडाई क्रमशः 6.10 मीटर है जो एन0बी0सी0–2005 के प्राविधानुसार है।

<u>ढांचागत व्यवस्था</u>

3– सैट बैक — प्रश्नगत भवन का सैटबैक निम्नवत् है —

ए– अग्रभाग — 9.00 मी0 एवं ओपन स्पेस

बी– पृष्ठभाग — 6.00 मी0 एवं ओपन स्पेस

क्रमशः ...2

सी– पार्श्वभाग प्रथम — 6.54 मी0

डी– पार्श्वभाग द्वितीय— 4.25 मी0

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवन के सैट बैक भवन निर्माण विनियमावली के अनुसार सदैव अवरोधमुक्त मुक्त रखे जायेंगे। सैट बैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4– निकास मार्ग — प्रश्नगत भवन के ग्राउण्ड फ्लोर पर मानचित्र में एक प्रवेश द्वार प्रस्तावित है। प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि ग्राउण्ड फ्लोर पर पृष्ठ भाग के कमरों के बरामदे में दोनो ओर आपातकालीन निकास द्वार की व्यवस्था की जाये। प्रश्नगत भवन में ग्राउण्ड फ्लोर से द्वितीय तल तक चार स्टेयर प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.50 मी0 है। फ्लोर के समस्त स्थानो पर ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

<u>अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीवरक्षा प्रणाली</u>

नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य है —

1– प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) — प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्रत्येक तल पर प्राविधान किया जायेगा।

2– होज रील — प्रस्तावित भवन में होज रील, लेण्डिग वाल्व आई0एस0–3844 मानकों के अनुसार प्रत्येक तल में रहेगा।

3– टैरिस टैंक — प्रश्नगत भवन की टैरिस पर टैरिस टैंक 10000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

4– टैरिस पम्प — प्रश्नगत भवन के टैरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 450 एल0पी0एम0 का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

5– एग्जिट साईनेज — सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज प्रत्येक तल पर स्थापित किये जायेंगे।

6– पी0ए0 सिस्टम — पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रबन्धक राधा गोविन्द एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी गली नं0 17, सुभाष नगर, गांधी कालोनी मुजफ्फरनगर द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक भवन ग्राम बेहडा सादात, तहसील जानसठ, जिला–मुजफ्फरनगर को अस्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकीय कोषागार में जमा कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र।

14/2/2014

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुजफ्फरनगर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुजफ्फरनगर

प्रतिलिपि : अग्निशमन अधिकारी, मुजफ्फरनगर को उनकी आख्या दिनांक 11–02–2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।